**धारा 97 द. प्र. सं. के अधीन आवेदनपत्र**

**दोषपूर्ण ढंग से परिरुद्ध किया गया व्यक्ति**

न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट / उपखण्ड मजिस्ट्रेट ...................................

वाद सं............................................ सन् ....................................

अन्तर्गत धारा ..................................... थाना .................................

सुनवायी की तारीख ..................................

अबक ................ ................. ................ ................. ................ .................

बनाम

कखग ................ ................. ................ ................. ................ .................

**सुनवाई की तारीख अदि सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है -**

1. यह कि 3/4 दिन पीछे विरोधी पक्षकार जो एक सौतेला भाई है 5 लाख रुपये धारण करने वाला एक पर्स जो एक करोड़ के मूल्य के स्वर्गीय (**यरलव**) द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के हिस्से के लिए बीच में दुर्भावना पैदा करने वाले परिवादी पक्षकार की आलमारी से चुराया गया।
2. यह कि परिवादी का पुत्र रमेश कल से खो गया है और उसको खोजा नहीं जा सकता है। आवेदक युक्ति-युक्त रूप से विश्वास करता है और आशंका करता है कि विरोधी पक्षकार कखग स्व. **यरलव** द्वारा इस प्रकार छोड़ी गयी सम्पत्ति में हिस्से का संदाय करने के लिए परिवादी अबक को विवश करने के लिए रमेश को पकड़कर या जारी करके परिवादी से धन की बड़ी मात्रा को उछापित करने के प्रयोजनार्थ इस भवन के समीप्य में कही रमेश को दोषपूर्ण ढंग से परिरुद्ध कर दिया है जिसने चोरी की गयी फर्श देखी है।
3. यह कि रमेश का परिरोध धारा 347/348 भा. द. स. के अधीन एक अपराध है।

इन परिस्थितियों आवेदक स्थान भ द को तलाशी करने तथा भ द द्वारा सदोष परिरोध से रमेश को छुड़ाने तथा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने तथा माता-पिता को मुक्त एवम् स्वतन्त्र कराने या प्रत्यावर्तित करने का पुलिस का निर्देश देकर धारा 97 द. प्र. सं. के अधीन एक तलाशी वारण्ट तथा एक आदेश पारित करने के लिए इस आदरणीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है।

आवेदक जरिये अधिवक्ता

तारीख

स्थान